जिला बार एसोसिएशन, नारनौल

नोटिस

दिनांक–14.10.2025

सभी सम्मानित अधिवक्ता सदस्यों को सुचित किया जाता है कि जिला बार एसोसिएशन, नारनौल नए चैम्बरस निर्माण की प्रकिया में कार्यरत है जिसमें 250 नए चैम्बरों के लिए माननीय बिल्डिंग कमेटी, पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ के पास आवेदन प्रस्तावित है। इस कड़ी में आप सभी इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन आंमत्रित किए जा रहे हैं ताकि नए चैंम्बरो के निर्माण के लिए चैम्बरों की संख्या का अनुमान लगाया जा सके, अगर प्रस्तावित चैम्बरों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो जिला बार एसोसिएशन, नारनौल प्रस्तावित चैम्बरों की संख्या को बढ़वाने का प्रयास करेगी। इसके पश्चात भी अगर बिल्डिंग कमेटी द्वारा पास की गई चैम्बरों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो जिला बार एसोसिएशन, नारनौल आवेदको का चयन ड्रॉ प्रणाली द्वारा किया जाऐगा और हरियाणा पब्लिक वर्कस डिर्पाटमेन्ट (बी0 एण्ड आर0) ब्रान्च नारनौल ने अपने पत्र संख्या– 5280 दिनांक– 26.09.2025 के द्वारा चीफ आक्रिटेक्ट हरियाणा, चण्डीगढ को नए चैम्बरस की ड्राईंग एंव ले आउट प्लान तैयार करने के लिए लिखा है। नए चैम्बरस के आवदनों की संख्या का पता लगने पर ही नए चैम्बरस की ड्राईंग एंव ले आउट प्लान को तैयार करवाया जा सकता है।

नए चैम्बर प्राप्त करने हेतु अधिवक्ताओं को निम्नलिखित नियमों व शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा–

नियम एंव शर्ते(Term & Conditions):–

1– **आवेदन प्रकिया**

- प्रत्येक चैम्बर के लिए दो अधिवक्ताओं का संयुक्त आवेदन निर्धारित परर्फोमा के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा

Satish Yadav

2– <u>डिमाण्ड ड्राफ्ट</u>

- आवेदन के साथ 20,000 रूपये (बीस हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जिला बार एसोसिऐशन नारनौल के पक्ष में अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा।
  दोनों आवेदनकर्ता या तो एक संयुक्त 20,000 रूपये (बीस हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, या दो अलग–अलग 10,000 रूपये (दस हजार रूपये मात्र) के डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कर सकते है।
- नए चैम्बरस के लिए जिला बार एसोसिऐशन नारनौल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रान्च पंचायत भवन के सामने, नारनौल में एक नया खाता संख्या–189511010000158 खुलवाया है जिसमें नए चैम्बरों से सम्बन्धित डी0डी0 जमा होगें इसके अतिरिक्त उपरोक्त खाता से जिला बार एसोसिऐशन नारनौल का अन्य कोई भी लेन–देन नहीं होगा। उपरोक्त बैंक खाता में सिर्फ नए चैम्बरस से सम्बन्धित ही लेन–देन किया जायेगा।

3– <u>पात्रताः–</u>

- जिन अधिवक्ताओं को पहले से चैम्बर अलॉट किया जा चुका है, वे नए चैम्बर के लिए आवेदन करने के पात्र/योग्य नहीं होंगे।
- जिन अधिवक्तओं ने पुराना चैम्बर या उसका कोई भी भाग ट्रान्सफर किया है, वे भी नए चैम्बर के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होंगे।
- दिनांक 26 सितम्बर 2025 के बाद यदि किसी अधिवक्ता ने किसी अन्य बार एसोसिएशन से ट्रान्सफर करवाकर नारनौल बार एसोसिएशन की सदस्यता प्राप्त की है, तो वे भी नए चैम्बर के लिए आवेदन करने के पात्र/योग्य नहीं होगें।
- आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं के पास उनके नाम से हरियाणा में कही भी चैम्बर अलॉट नहीं होना चाहिए, अगर किसी अधिवक्ता को चैम्बर अलॉट है तो वे अधिवक्ता आवेदन करने के लिए पात्र/योग्य नहीं होंगे।

Satish Yadav

- आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं की ओर से जिला बार एसोसिएशन, नारनौल का कोई बकाया लंबित नहीं होना चाहिए। ऐसे अधिवक्ताओं के आवेदन अस्वीकृत माने जाएंगे।

4— **आवेदन जमा करवाने की समय अवधिः—**

- आवेदन 15 अक्टूबर 2025 से 05 नवम्बर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे।
- आवेदन पत्र प्रधान कार्यालय, जिला बार एसोसिएशन, नारनौल में प्रत्येक कार्य दिवस(वर्किंग डे) पर दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक जमा करवाए जा सकते है।

5— **महत्वपूर्ण सूचनाः—**

- अपूण्र या नियमें के विपरीत आवेदन अमान्य माने जांएगे।
- आवेदन—पत्र व शपथ—पत्र केवल निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे, जो प्रारूप श्री फतेह सिंह, लाइबेरियन से ले सकते है, और बार एसोसिएशन नारनौल के अधिकारिक वाट्सप्प ग्रुप से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते है।
- यह आवेदन प्रकिया जिला बार एसोसिएशन, नारनौल की आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक—26.09.2025 व फाइनेन्स कमेटी एण्ड सेकेटरी हरियाणा सरकार के पत्र कमांक— 7178-R-III-97/15258 दिनांक— 07.10.1997 व फाइनेन्स कमेटी एण्ड सेकेटरी हरियाणा सरकार के पत्र कमांक— 2782-R-III-94/10167 दिनांक— 16.05.1994 व बिल्डिंग कमेटी(हरियाणा) की मीटिंग मिनिट्स दिनांक—26.09.2012 और बिल्डिंग कमेटी (हरियाणा) की मीटिंग मिनिट्स दिनांक—27.01.2014 व दिनांक— 04.03.2023 के अनुसार नोर्मस व नियम प्रभावी रहेंगे।

President
Distt. Bar Association
Narnaul

सन्तोख सिंह यादव,
प्रधान,
जिला बार एसोसिएशन, नारनौल

14-10-2025